राज्यसभा में आरक्षण का आह्वान

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था, शासन और आईआर) से संबंधित है।

द हिन्दू

30 मार्च, 2022

राज्यसभा में ओबीसी कोटे की आवाज़ हुई तेज़

द्रमुक और भाजपा के राज्यसभा सदस्यों ने मंगलवार को असामान्य रूप से यह माँग की कि सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने में संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए एक कानून लाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण तभी लागू किया जा सकता है जब अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध हो और केवल तभी जब एक समर्पित आयोग इसे मंजूरी दे।

इस विषय पर बोलते हुए, डीएमके सदस्य पी. विल्सन ने कहा कि सरकार को या तो 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए डेटा को जारी करना चाहिए या एक कानून लाना चाहिए जो "स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण को अनिवार्य करता है व अनुच्छेद 342 ए (3) के तहत राज्यों द्वारा एकत्र किए गए अनुभवजन्य आंकड़ों पर और स्थानीय निकाय स्तर पर सामाजिक न्याय को बनाए रखने पर कार्य करता हो।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए संवैधानिक आरक्षण वर्ष 1992 में लाया गया था। हालाँकि, 28 साल बाद भी, "हम अभी तक ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं।"

श्री विल्सन ने कहा "2011 में, ₹ 4,893 करोड़ की कीमत पर, एक जाति जनगणना शुरू की गई थी। 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा SECC कच्ची जाति का डेटा एकत्र किया गया था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने किसी भी कमियों का पता लगाने के लिए नीति आयोग के तहत एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से कच्ची जाति के आंकड़ों की जाँच करने का निर्णय लिया। फिर भी, आज तक उक्त समिति को कार्य करने की अनुमति नहीं है।"

भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि वह ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की अनुमति देने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर करेगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी

श्री विल्सन ने कहा "एक ओर, संविधान ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन दूसरी ओर, केन्द्र सरकार के पास जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है और इस प्रकार राज्यों द्वारा अनुभवजन्य डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे अनुभवजन्य आंकड़ों के बिना, अदालतें राज्य की आरक्षण नीतियों को रद्द कर रही हैं।"

इससे पहले, भा.ज.पा. सांसद सुशील मोदी ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए यही मुद्दा उठाया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत में पिछड़े वर्गों के साथ हुए अतीत और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की शुरुआत की गई थी।
2. इसे उनकी जाति के बावजूद सभी के लिए एक समान मंच प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।
3. मंडल आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की और आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1

(ख) केवल 2

(ग) 1 और 2

(घ) 1, 2 और 3

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements.

1. Reservation was introduced in indian constitution to rectify the past and historical injustice meted to backward classes in India.
2. It was introduced to provide an equal platform for everyone irrespective of their caste.
3. The mandal commission was chaired by B.P Mandal and the commission submitted its report to the president on 31st December 1980.

which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) 1 and 2

(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत में शुरू किए गए आरक्षण के महत्व पर चर्चा करें और साथ ही यह भी बताएं कि यह किस हद तक अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। (250 शब्द)

Q. Discuss the significance of reservation introduced in India and to what extent it has been able to achieve its desired objectives. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।